पक्षकार –   छ0ग0 राज्य वि0 लंकेश पोर्ते प्र0 क्र0 207 / 18

Witness No. 01 For अभियोजन साक्षी 01 Deposition taken the 16 / 01 / 2019 day of.बुधवार witness's apparent age 50 वर्ष States on affirmation शपथपूर्वक my name is..दशोदा दीवान पति of स्व. गोपाल पोर्ते occupation गृहिणी address बेलाडी रायपुर छ0ग0

1– **<u>मुख्य परीक्षण द्वारा श्रीमती सुनीता तोमर, एजीपी वास्ते अभियोजन</u>**

<u>1–</u> मै आरोपी को जानती हू। मृतिका श्यामा बाई मेरी बेटी थी। मेरी लडकी का विवाह अरूण से आज से लगभग 6–7 साल पूर्व ग्राम बेलाडी तिल्दा नेवरा के पास हुआ था तथा उनके दो बच्चे एक लडका एवं एक लडकी है।

2– पिछले वर्ष महाशिवरात्रि के पांच छः दिन पूर्व समय लगभग शाम के 6 बजे की बात है उस समय मै घर में खाना बना रही थी। उसी समय श्यामा बाई जल गई है कहकर हल्ला हुआ। मै श्यामा बाई के जलने की खबर सुनकर उसके घर जा रही थी तो मै रास्ते में ही गिर कर बेहोश हो गई। उस समय श्यामा बाई के पति एवं सास बालाजी अस्पताल रायपुर श्यामा बाई को ले गये थे।

3– मै अपनी बेटी से मिलने बालाजी अस्पताल गयी थी। मैने अपनी लडकी से उसके जलने का कारण पूछा तो मेरी बेटी ने बताया कि मेरा आरोपी लंकेश से प्रेम संबंध था। मै लंकेश के घर उससे मिलने गयी और आरोपी लंकेश से बोली कि तुम मुझे अपने साथ कब ले जाओगे तो उसने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया और बोला मै तुम्हे अपने साथ नहीं रखूंगा। मेरी लडकी ने बताया कि उस समय एक शिवा नाम के लडके ने आरोपी के मारने से छुडाया था।

4– मेरी लडकी ने मुझे बताया कि मै आरोपी के मन करने पर दुखी होकर अपने घर आकर अपने उपर मिट्टी तेल डालकर आग लगा ली थी। मेरी लडकी श्यामा बाई की बालाजी अस्पताल मे ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी। पुलिस ने मुझसे पूछताछ कर मेरा बयान दर्ज किया था।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री महेशमणि साहू अधिवक्ता वास्ते आरोपी</u>

5— यह कहना सही है कि आरोपी लंकेश मेरा रिश्तेदार है और मेरे ही गांव में रहता है इसलिए मै उसे पहचानती हू। यह कहना सही है कि मेरी लडकी व मेरा दामाद के बीच किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। मेरी बेटी अपने वैवाहिक जीवन में खुश थी।

6— यह कहना सही है कि तथाकथित घटना स्थल पर मै नहीं गयी थी और मै आग जलने वाली घटना स्थल को नहीं देखी थी। यह कहना सही है कि मै अपने बेटी के घर नही गयी थी। यह कहना सही है कि मै अपनी बेटी से मिलने घ ाटना दिनांक के तीन चार दिन बाद मिलने गयी थी।

7— मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि घटना के तुरंत बाद आहत को पहले मिशन अस्पताल तिल्दा लेकर गये थे अथवा नहीं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि आहत को मिशन अस्पताल तिल्दा के पश्चात ओम अस्पताल रायपुर लेकर गये थे या नहीं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि आहत की हालत गंभीर होने के कारण ओम अस्पताल वाले मेरी बेटी को डिस्चार्ज कर दिये थे जिसके पश्चात् बालाजी अस्पताल में ईलाज हेतु भर्ती कराया गया था अथवा नहीं। यह कहना सही है कि मेरी बेटी लगभग 90 से 95 प्रतिशत जल गयी थी।

8— यह कहना सही है कि मै अपनी बेटी श्यामा बाई के ईलाज के दौरान अटेन्डर के रूप में साथ में नही रही। मेरी बेटी की देखभाल उसके पति, सास वगैरह लोग किये है। यह कहना सही है कि मेरी बेटी बालाजी अस्पताल में आई. सी.यू वार्ड में भर्ती थी। यह कहना सही है कि जलने की मरीज को संक्रमण से बचाये रखने के लिए अस्पताल में जाली के अन्दर ढंक कर रखते है। स्वतः कहा कि मुंह मे भी मास्क लगा था।

9— साक्षी से यह पूछे जाने पर कि आहत आपकी बेटी को, आपको कांच के दरवाजे से दिखाये थे। तो साक्षी का कहना है कि मै भीतर भी गयी थी।

10— यह कहना सही है कि कमलेश पोर्ते मेरा लडका है और पिन्टू मेरे देवर का लडका है। यह कहना सही है कि कमलेश पोर्ते और पिन्टू के साथ आरोपी लंकेश का झगडा हुआ था। साक्षी अब कहती है कि उनके बीच राजीनामा हो गया था। यह कहना सही है कि उक्त लडाई के कारण आरोपी लंकेश के

विरूद्ध अपराधिक प्रकरण बना था और लंकेश जेल अभिरक्षा में भी रहा था। यह कहना सही है कि उक्त प्रकरण में राजीनामा किये जाने के लिए 40 हजार रूपये देने की बात तय हुआ था। साक्षी स्वतः कहा कि आरोपी लंकेश ने राजीनामा हेतु तय उक्त राशि नहीं दिया था। साक्षी का कथन है कि पूर्व प्रकरण में राजीनामा के लिए मैने आरोपी से नहीं कहा था। आरोपी ने स्वंय पैसे देने की बात कहा था। यह कहना सही है कि आरेापी लंकेश पोर्ते के द्वारा उक्त राजीनामा के बाद में कभी नहीं दिया। यह कहना गलत है कि दोनो परिवार का राजीनामा पैसा नहीं दिये जाने के कारण बोलचाल बंद हो गया था। यह कहना गलत है कि आरोपी लंकेश के द्वारा राजीनामा पैसा नहीं दिये जाने के कारण द्वेष वश रंजिश रखती हू।

11— यह कहना सही है कि मैने आरोपी द्वारा मेरी लडकी को मारते हुए नहीं देखा है। यह कहना गलत है कि आरोपी ने मेरी लडकी के साथ कोई मारपीट नहीं की थी।

12— यह कहना गलत है कि आईसीयू में रहने वाले मरीज को उसके परिजनो से बातचीत करने नहीं देते है। स्वतः कहा कि मेरी लडकी की हालत अत्यंत गंभीर थी और वह मुझसे बात करना चाहती थी इसलिए बात करने के लिए दिये थे। यह कहना गलत है कि मेरी बेटी के साथ मेरी कोई बातचीत नहीं हुई थी और मै आरोपी को रंजिश वंश फंसाने के लिए झूठा बयान दे रही हू।

13— यह कहना सही है कि पुलिस वालो ने मुझसे बालाजी अस्पताल में रहने के दौरान पूछताछ किया था उसके पश्चात कोई पूछताछ नहीं किये थे। स्वतः कहा कि पुलिस वाले घर में आकर भी पूछताछ किये थे। पुलिस वाले मुझसे पूछताछ करने दशगात्र होने के लगभग 15 दिन पश्चात आये थे उसके पश्चात पुलिस वाले मुझसे कभी कोई पूछताछ नहीं किये थे।

14— मैने पुलिस को बयान देते समय ''मेरी लडकी ने बताया कि उस समय एक शिवा नाम के लडके ने आरोपी के मारने से छुडाया था'' की बात बता दी थी उक्त कथन मेरे बयान प्रदर्श डी—1 में नहीं लिखा हो तो मै उसका कारण नहीं बता सकती।

15— यह कहना गलत है कि मै आज न्यायालय में कैसे बयान देना है उसके संबंध में वकील से पूछताछ किया था और उनके बताये अनुसार बयान दे रही हू। यह कहना गलत है कि मै आज न्यायालय में सही बात नहीं बता रही

हू। यह कहना गलत है कि आरोपी लंकेश एवं उसके परिवार से रंजित होने के कारण मै झूठा एवं मनगढत बयान देकर आरोपी को प्रकरण में फंसायी हू।

वाचित स्वीकृत

(चन्द्र कुमार कश्यप)
प्रथम अति.सत्र न्यायाधीश के
चतुर्थ अति. न्यायाधीश रायपुर छ.ग.

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(चन्द्र कुमार कश्यप)
प्रथम अति.सत्र न्यायाधीश के
चतुर्थ अति. न्यायाधीश रायपुर छ.ग.

गवाह के हस्ताक्षर– .....